दैनिक न्याय साक्षी

खबरें खास

रायगढ़, शनिवार 14 अक्टूबर 2023

www.nyaysakshi.com

महत्वपूर्ण एवं खास

कार्तिकेय गोयल होंगे रायगढ़ के नए कलेक्टर, अवनीश कुमार शरण बनाए गए बिलासपुर कलेक्टर

रायपुर (आरएनएस)। राज्य शासन द्वारा शुक्रवार शाम आईएएस/ आईपीएस अफसरों का तबादला आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार अवशीन कुमार को बिलासपुर जिले का कलेक्टर बनाया गया है। कार्तिकेय गोयल को रायगढ़ का कलेक्टर बनाया गया है। साथ ही इफ्फत आरा को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संयुक्त सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, प्रबंध संचालक मार्कफेड एवं प्रबंध संचालक नान का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

रामगोपाल गर्ग को पुलिस अधीक्षक दुर्ग बनाया गया

रायपुर (आरएनएस)। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दुर्ग पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर को हटाए जाने के बाद रायगढ़ के उप पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग को पुलिस अधीक्षक दुर्ग के पद पर पदस्थ किया गया है। जबकि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्ग शहर अभिषेक कुमार झा बनाए गए हैं। इसके अलावा 16वी वाहिनी छगबल नारायणपुर के सेनानी जितेंद्र शुक्ला को पुलिस अधीक्षक कोरबा एवं मोहित गर्ग सेनानी 19वीं वाहिनी छगबल जगदलपुर को पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव बनाया गया है। इसके अलावा अर्चना झा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईयूसीएडब्ल्यू जिला जांजगीर चापा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर बनाया गया है। यह आदेश आज जारी कर दिए गए हैं।

गुणवत्तापूर्ण स्क्रेप भेजने के नाम पर 8 लाख की ठगी

रायपुर (आरएनएस)। गांधी मैदान कोतवाली में 24 टन लोहा स्क्रेप भेजने का सौदा तय कर 8 लाख की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी सागर दीक्षित 36 वर्ष दीक्षित हाउस मालवीय रोड का रहने वाला है। बताया जाता है कि आरोपी विकाश सिंह व बिट्टू सिंह ने उच्च गुणवत्ता का लोहा स्क्रेप विक्रय करने का प्रस्ताव देकर 24 टन लोहा स्क्रेप भेजने का सौदा तय कर 8 लाख की रुपए ले लिया और स्क्रेप एवं डस्ट भेजकर धोखाधड़ी किए। प्रार्थी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 34 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

सुरक्षा निधि के नाम पर 23 लाख की धोखाधड़ी

रायपुर (आरएनएस)। मेडिकल दुकान संचालन के नाम पर 23 लाख रुपए सुरक्षा निधि जमा कराकर धोखाधड़ी किया। प्रार्थी की शिकायत पर तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी मुकेश झा निवासी कैलाशपुरी टिकरापारा ने थाना में शिकायत किया कि आरोपी दिनेश गिरी गोश्वामीर, प्रवीण रूस्तम राव व उर्वसी फुलझीले ने प्रार्थी को बिना लायसेंस का अस्पताल का संचालन कर रहा है और न्यू रायपुरा अस्पताल में मेडिकल दुकान का संचालन कर रहा है। जिससे सुरक्षा निधि के नाम पर आरोपियों ने प्रार्थी से 23 लाख रुपए जमा करा लिए। प्रार्थी की शिकायत पर डीडीनगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

बैंकों में सुरक्षा बढ़ाने के संबंध में एसएसपी ने ली प्रबंधकों की बैठक

बैंक प्रबंधन को दिए गए सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश, प्रबंधन की ओर से भी सामने आए कई महत्वपूर्ण सुझाव

रायगढ़। एसएसपी सदानंद कुमार ने शुक्रवार 13 अक्टूबर को पुलिस कंट्रोल रूम रायगढ़ में बैंकों की सुरक्षा को लेकर रायगढ़ एवं पुसौर तहसील अंतर्गत संचालित बैंक अधिकारियों के साथ बैठक की और बैंकों व एटीएम की सुरक्षा संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

बीते माह रायगढ़ जिले में हुई बैंक डकैती की घटना का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार द्वारा समीक्षा किया गया जिसमें सामने आई खामियों को दुरुस्त करने बैंक प्रबंधन को निर्देशित कर उन्होंने थाना, चौकी प्रभारियों से उनके क्षेत्र के अंतर्गत संचालित बैंकों का सुरक्षा ऑडिट कराया गया। पुलिस अधिकारियों के बैंकों की जांच, सुरक्षा ऑडिट में कई खामियां पाई गई जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस अनुविभागवार सभी प्राइवेट और कमर्शियल बैंक प्रबंधन की मीटिंग ली जा रही है जिसकी शुरुआत आज उनके द्वारा रायगढ़, पुसौर थाना क्षेत्र अंतर्गत संचालित होने वाले बैंकों से किया गया।

एसएसपी रायगढ़ ने बैठक में बैंक प्रबंधकों को गत दिनों पुलिस द्वारा किये गये सुरक्षा ऑडिट तथा उनके स्वयं के द्वारा की गई समीक्षा पर सामने आई खामियों पर विस्तृत रूप से चर्चा किया गया और बैंक प्रबंधक की ओर से आये सुझावों का भी स्वागत कर पालन कराने की बात कही।

बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बैंक प्रबंधकों को शीघ्र इन खामियों को दुरूस्त करने कहा गया जिसमें- (1) बैंक के अंदर प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्तियों की संपूर्ण जानकारी रखा जाए (2) बैंक के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे चालू स्थिति में हो (3) बैंक के सुरक्षा गार्ड का नियमित रूप से चरित्र सत्यापन हो (4) गार्ड के आर्म्स चालू स्थिति में हो (5) बैंक के खुलने और बंद होने का निर्धारित समय हो, (6) बैंक का सायरन चालू अवस्था में हो, (7) बिना गार्ड वाले एटीएम को रात्रि में बंद रखने, (8) सीसीटीवी कैमरा के रिकार्डर को सुरक्षित स्थान पर रखने, (9) बैंक अधिकारियों के पास निकटतम थाना/पुलिस कंट्रोल रूम/ आपातकालीन नंबर मौजूद हो तथा बैंक पटल में भी लिखे हो, (10) बैंक में संधारित चेकिंग रजिस्टर में नियमित प्रविष्टि दर्ज हो, (11) बैंक में प्रवेश करने वाले व्यक्ति चेहरा ढककर/हेलमेट पहनकर अथवा स्कार्फ पहनकर ना आए इस पर विशेष ध्यान दें और आवश्यक रूप से बैंक के बाहर इस संबंध में नोटिस चस्पा किया जाए, (12) रकम लाने-ले जाने की सूचना देने, रात्रि में बैंक परिसर के चारों ओर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था हो इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चर्चा किया गया। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस अधिकारियों और बैंक प्रबंधकों की व्हाट्सएप ग्रुप बनवाया गया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को बैंकों के सुरक्षागार्डों की मीटिंग लेकर उन्हें सुरक्षा संबंधी निर्देश दिये जाने निर्देशित किया गया।

बैठक में वरिष्ठ स्टेनो अशोक देवांगन, थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव आहेर, थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक रामकिंकर यादव, थाना प्रभारी पुसौर सीताराम ध्रुव, थाना कोतवाली के उप निरीक्षक दिनेश बोहिदार और 51 विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक एवं उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे।

प्रदेश में पहले चरण के मतदान के लिए अधिसूचना जारी : पहले दिन किसी प्रत्याशी ने नहीं किया नामांकन पत्र दाखिल

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में विधानसभा आम निर्वाचन के पहले चरण के लिए शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया की शुरूआत हो गई। पहले दिन 20 विधानसभा सीटों के लिए किसी प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। प्रथम चरण में बस्तर संभाग की 12 समेत राजनांदगाँव, , मोहला -मानपुर -अंबागढ़ चौकी , खैरागढ़-छुईखदान- गंडई तथा कबीरधाम जिलों के 08 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया जाना है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में दो चरणों में हो रहे निर्वाचन के पहले चरण की 20 सीटों के लिए 20 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी तथा प्रत्याशी 23 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। प्रथम चरण के लिए 07 नवंबर को मतदान होगा जबकि दोनों ही चरणों के लिए मतगणना 03 दिसंबर को होगी।

प्रथम चरण में कोंटा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, चित्रकोट, जगदलपुर, बस्तर , नारायणपुर , कोंडागांव ,केशकाल ,कांकेर ,भानुप्रतापुर, अंतागढ़, मोहला- मानपुर, खुज्जी, डोंगरगांव, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, खैरागढ़, कवर्धा और पंडरिया विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान होगा।

निर्वाचन में व्यय निगरानी को लेकर अपर कलेक्टर ने ली सहायक व्यय प्रेक्षकों की बैठक : निर्वाचन में प्रत्याशी के व्यय पर रहेगी नजर

रायगढ़। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन की घोषणा पश्चात अपर कलेक्टर राजीव कुमार पाण्डेय ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सहायक व्यय प्रेक्षक एवं वीएसटी टीम की बैठक ली। अपर कलेक्टर पाण्डेय ने कहा कि जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी हैं, सभी निर्वाचन आयोग के निर्देशों का गंभीरता से पालन करेंगे। उन्होंने वीएसटी (वीडियो निगरानी टीम)एवं व्यय लेखा टीम को उनके दायित्वों की जानकारी दी। इस अवसर पर सहायक कलेक्टर युवराज मरमट उपस्थित रहें।

अपर कलेक्टर पाण्डेय ने सभी सहायक व्यय प्रेक्षक को कहा कि प्रत्याशी के आमसभा, रैली रोड़ शो की सूचना प्राप्त होने के पश्चात वीएसटी टीम को सूचना प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने सूचना के प्राप्त होने पश्चात वीएसटी टीम को सभा स्थल में पहले पहुंचना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने सुसंगत गतिविधियों की निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उक्त वीडियो का अवलोकन टीम एवं लेखांकन टीम के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन व्यय निगरानी का कार्य करने के निर्देश दिए। ताकि वीडियो से प्रत्याशी के खर्चो का अवलोकन किया जा सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि व्यय वैधानिक होने पर प्रत्याशी के खर्च में जुड़ेगा। अपर कलेक्टर पाण्डेय ने टीम को एक्टिव रहने एवं रिटर्निंग ऑफिसर से समन्वय रखने के निर्देश दिए।

इस दौरान अपर कलेक्टर पाण्डेय एफएसटी (उडऩ दस्ता टीम) के प्रशिक्षण में भी शामिल हुए। उन्होंने प्रशिक्षण में एफ.एस.टी.को उनके कार्यो की विस्तृत जानकारी देते हुए भारत निर्वाचन आयोग विधानसभा निर्वाचन-2023 में सी-विजिल मोबाइल एप के उपयोग के संबंध में जानकारी दिए। उन्होंने कहा कि एप के जरिए कोई भी व्यक्ति आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन की गतिविधियों या घटनाओं की शिकायत चंद मिनटों में दर्ज करा सकता है। जिले में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायते होने पर समय रहते कार्रवाई की जाएगी है। साथ ही सी-विजिल मोबाइल एप पर शिकायत प्राप्त होते ही उडऩदस्ता एफ.एस.टी. तुरंत मौके पर पहुँच कर जरूरी कार्रवाई करेगी। इस दौरान उन्होंने टीमों के लिए वाहनों की व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश जिला परिवहन अधिकारी को दिए।

इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा, जिला परिवहन अधिकारी दुष्यंत रायस्त, वरिष्ठ लेखा अधिकारी बसंत गुलेरी, वरिष्ठ कोषालय अधिकारी ज्योति सिंह, एल.के. बारा, एस.के.मिंज, ऋद्धि साहू एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

मतदान के लिए उपयोग से पहले ईवीएम और वीवीपैट का दो बार किया जाता है रेंडमाइजेशन

- अभ्यर्थियों की सूची फाइनल होने के बाद अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में की जाती है कमिशनिंग
- मतदान के दिन वास्तविक मतदान शुरू होने के 90 मिनट पहले मतदान अभिकर्ताओं की मौजूदगी में की जाती है मॉक पोल

रायपुर (आरएनएस)। निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के साथ वीवीपीएटी (वीवीपैट) का भी प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में पर्याप्त संख्या में बैलेट यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट्स और वीवीपैट उपलब्ध हैं। राज्य में 55 हजार 071 बैलेट यूनिट्स, 35 हजार 424 कंट्रोल यूनिट्स और 41 हजार 613 वीवीपैट उपलब्ध हैं।

मतदान के लिए प्रयोग में लाने से पहले ईएमएस (श्वरूस्) सॉफ्टवेयर का उपयोग कर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपीएटी को दो बार रेंडमाइज किया जाता है। प्रथम बार इन्हें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आबंटित किए जाने के दौरान और द्वितीय बार इन्हें मतदान केंद्र आबंटित किए जाने के दौरान रेंडमाइज किया जाता है। रेंडमाइजेशन और कमिश्निंग की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों तथा निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाता है। दोनों रेंडमाइजेशन के बाद ईवीएम एवं वीवीपैट की रेंडमाइज्ड सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों व निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों को प्रदान की जाती है।

निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों की सूची को अंतिम रूप देने के बाद ईवीएम एवं वीवीपैट की कमिश्निंग की जाती है। निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में यह काम किया जाता है। कमिश्निंग हॉल में लगाए गए टीवी मॉनिटर के माध्यम से अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता वीवीपैट में सिंबल (चुनाव चिन्ह) लोडिंग की प्रक्रिया को देख सकेंगे। कमिश्निंग के बाद प्रत्येक ईवीएम और वीवीपैट में नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक वोट देकर मॉक पोल किया जाता है । इसके अतिरिक्त रेंडम रूप से चुने गए पांच प्रतिशत ईवीएम एवं वीवीपैट पर 1000 वोट डालकर मॉक पोल किया जाता है। इनके इलेक्ट्रॉनिक परिणाम का मिलान भी वीवीपैट के पेपर स्लिप से किया जाता है।

मतदान के दिन वास्तविक मतदान शुरू होने के 90 मिनट पहले मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में तीन बार मॉक पोल किया जाता है। इस दौरान नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए एक वोट डालकर कम से कम 50 वोट के साथ मॉक पोल किया जाता है। कंट्रोल यूनिट पर प्राप्त मॉक पोल के परिणाम का मिलान वीवीपैट से प्रिंट की गई पर्ची के साथ कर एक प्रमाण पत्र पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। मॉक पोल के तुरंत बाद कंट्रोल यूनिट का क्लियर बटन दबाकर मॉक पोल का डॉटा डिलीट किया जाता है। साथ ही मॉक पोल की वीवीपैट पेपर स्लिप को कंपार्टमेंट से निकाल कर काले रंग के लिफाफे में भरकर सील किया जाता है।

ईवीएम बैलट पेपर पर अभ्यर्थी का रहेगा फोटोग्राफ- मतदाताओं की सुविधा के लिए ईवीएम पर लगाए जाने वाले बैलट पेपर पर अभ्यर्थियों के फोटोग्राफ भी प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष हाल ही का स्टैंप साइज का फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा। हर बार की तरह नोटा का प्रावधान इस निर्वाचन में भी रहेगा।

कलेक्टर ने बिलाईगढ़ के मतदान प्रशिक्षण केन्द्र का किया निरीक्षण

सारंगढ़-बिलाईगढ़। जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी ने बिलाईगढ़ के मतदान प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है। इस कार्य में किसी भी प्रकार का लापरवाही और त्रुटि नही करना है। इसलिए सभी अधिकारी, कर्मचारी निर्वाचन संबंधी दायित्वों का निर्वहन विशेष सावधानी के साथ त्रुटिरहित ढंग से सम्पन्न करें। उन्होंने कहा कि मतदान अधिकारियों को अपने कार्य एवं दायित्वों के संबंध में किसी प्रकार की शंका होने पर उसका समाधान प्रशिक्षण के दौरान करना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर बिलाईगढ़ एसडीएम डॉ स्निग्धा तिवारी उपस्थित थी।

नाबालिग लड़कियों की फोटो एडिट कर फिल्मी तरीके से करते थे ब्लैकमेल, दो बदमाशों को पुलिस ने दबोचा

जशपुर (आरएनएस)। जिले में नाबालिग लड़कियों की फोटो को एडिट कर अश्लील रूप देकर ब्लैकमेल करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार का जेल भेज दिया गया है. दोनों बदमाश इंस्ट्राग्राम में नाबालिग लड़कियों के तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर पीड़ितों से पैसे की मांग करता थे. इतना ही नहीं फिल्मी अंदाज में पीड़ित से पैसे की डिमांड कर लोकेशन पर बुलाते थे. फिर कुछ देर बाद लोकेशन चेंज कर दूसरी जगह बता कर पैसा छोडऩे बोलथे थे।

बता दें कि, पूरा मामला बगीचा थाना क्षेत्र का है. यहां अफरोज और गणेश नामक दो बदमाशों ने लडक़ी की तस्वीर से छेड़छाड़ कर अश्लील रूप देकर पीड़ित से 10 हजार रुपए की मांग कर रहा था. पीड़ित को इंस्ट्राग्राम सोशल मीडिया में तस्वीर डालकर फोटो डिलीट करने ब्लैकमेल कर रहा था. फिर परिजनों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने तत्परता से दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की पूछताछ जारी है।

एडिशनल एसपी उमेश कश्यप ने कहा कि, कोई भी बदमाश इस तरह से लड़कियों को सोशल मीडिया में फोटो वायरल करने का धमकी देकर ब्लैकमेल करें तो डरे नहीं पीडि़ता पहले अपने परिजनों को तत्काल जानकारी दे और उसके बाद फिर सम्बंधित थाने में शिकायत दर्ज कराए. इससे इस तरह का महिला संबंधी अपराध पर अंकुश लगाया जा सके।

आम नागरिकों के लिए सी-विजिल एप्प होगा अमोघ अस्त्र

- डराने, धमकाने से लेकर प्रलोभन देने तक की सूचनाएं सीधे की जा सकेंगी

रायपुर (आरएनएस)। विधानसभा निर्वाचन 2023 में उन्नत तकनीक का उपयोग करते हुए आम नागरिक भी सी-विजिल फोन एप्प के माध्यम से डराने, धमकाने या प्रलोभन देने की शिकायतें सीधे भारत निर्वाचन आयोग को कर सकेंगे। इस बार साफ-सुथरे, निर्विवाद और पारदर्शी चुनाव के लिए सी-विजिल एप्प आम नागरिकों के मोबाईल फोन पर अमोघ अस्त्र के रूप में इंस्टाल रहेगा। निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन या किसी राजनैतिक दल और प्रत्याशी द्वारा मतदाताओं को डराने, धमकाने या पैसा, शराब, सामग्री बांटकर अपने प़क्ष में मतदान के लिए मजबूर करने की शिकायतें करने के लिए सी-विजिल मोबाइल एप्प का निर्माण कराया गया है। एप्प को बिना किसी परेशानी के संचालित होने के लिए सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ ही यह एप्प मतदाताओं के लिए एक्टिवेट हो गया है । लोग इसे गुगल एप्प स्टोर से नि:शुल्क डाउनलोड कर सकेंगे। मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर डालकर स्वयं पंजीकृत होना पड़ेगा।

विधानसभा निर्वाचन को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए आम नागरिकों को 24 घंटे निगरानी की सुविधा देने वाले इस एप्प से लोग घटनाओं के फोटो या वीडियो लेकर सीधे अपलोड कर सकेंगे। इस एप्प के माध्यम से लिए गये फोटो या वीडियो मोबाइल फोन में सेव नहीं होंगे बल्कि सीधे निर्वाचन आयोग कार्यालय या जिला नियंत्रण कक्ष को प्राप्त होंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रकार फोटो या वीडियो के रूप में मिली शिकायत पर 100 मिनिट की समय सीमा में कार्यवाही करेगा। एप्प के माध्यम से अधिकतम पांच मिनट के वीडियो बनाकर अपलोड किए जा सकेंगे। जीपीएस प्रणाली पर आधारित यह मोबाइल एप्प रजिस्ट्रेशन किए जाने वाले विधानसभा क्षेत्र में ही काम करेगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने बताया है कि मतदाताओं को डराने, धमकाने, प्रलोभन देने की शिकायत एवं सूचनाएं सी-विजिल एप्प के अलावा जिला नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर 0771-2445785 के साथ-साथ टोल फ्री नंबर 0771-1950 पर भी की जा सकती है। उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु स्वरूप कोई पारितोष देता है या लेता है, तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने अथवा दोनों सजा से दंडनीय होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक अथवा किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है।

वह एक वर्ष के कारावास या जुर्माने अथवा दोनों सजा का भागीदार होगा। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान रिश्वत देने और लेने वाले दोनों के विरूद्ध मामले शिकायत या सूचना भारत निर्वाचन आयोग के सी-विजिल एप्प में भी किया जा सकता है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480